गांवों के लोग अपने लंबित कार्यों का निस्तारण शिविर में करवा लें : कलेक्टर

बीकानेर, (कासं)। 24 जून से 9 जुलाई तक चलने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के तहत मंगलवार को पहले दिन जिले की सभी तहसीलों में विभिन्न ग्राम पंचायत मुख्यालय पर शिविरों का आयोजन किया गया।

बीकानेर तहसील के अंतर्गत कोलासर, गुसाईसर और रामसर ग्राम पंचायत मुख्यालय पर शिविर का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि ने कोलासर शिविर का निरीक्षण किया। जिला कलेक्टर ने शिविर में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आमजन शिविर में आकर राज्य सरकार की योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। उन्होंने कहा कि गांव के लोग अपने लंबित कार्यों के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटे बिना शिविर में ही उनका समाधान करवा लें। शिविर में सभी विभागों के अधिकारी और कार्मिक आपके द्वार पर हैं। लिहाजा इसका लाभ उठाएं।

बीकानेर कलेक्टर नम्रता वृष्णि ने कोलासर में आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा शिविर का निरीक्षण किया।

सभी विभागों द्वारा किये गए कार्यों की जिला कलेक्टर द्वारा सराहना की गई। शिविर में जिला कलेक्टर ने खाता विभाजन के कागजात संबंधित लोगों को वितरित किए। एसडीएम बीकानेर कुणाल राहड़ ने बताया कि कोलासर शिविर में राजस्व विभाग से संबंधित लंबित नामांतरण के 11 प्रकरण, रास्ते का 1 प्रकरण व आपसी सहमति से बंटवारे के कई वर्षों से लंबित 4 प्रकरण निस्तारित किए गए। इसके अलावा शिविर में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, ऊर्जा विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, कृषि विभाग, पशुपालन विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग इत्यादि से संबंधित प्रकरणों का निस्तारण किया गया।

जिला कलेक्टर के निरीक्षण के दौरान सीईओ जिला परिषद सोहन लाल, एसडीएम कुणाल राहड़, तहसीलदार राजकुमारी समेत अन्य अधिकारीगण व कर्मचारी उपस्थित थे। विदित है कि प्रदेश भर में 24 जून से 09 जुलाई 25 तक चलने वाले पं. दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े में ग्राम पंचायत मुख्यालय पर शिविर में लंबित पत्थरगढ़ी और सीमाज्ञान प्रकरणों, लंबित नामांतरणों, रास्तों के प्रकरणों का निस्तारण किया जायेगा।

शिविर में इसके अलावा लंबित कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार करना, आपसी सहमति से बंटवारा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना हेतु बीपीएल परिवारों का सर्वे और बीपीएल परिवारों को विभिन्न योजनाओं से जोड़ने के लिए आवेदन, स्वामित्व पट्टे बनाना एवं वितरण करना, पानी की टंकियों की साफ-सफाई, लंबित नल कनेक्शन जारी करना, लीकेज की मरम्मत और जल-दबाव जांच, नहरों के पटरों की सफाई एवं मरम्मत करना, नर्सरियों से पौधे वितरण, मृदा नमूनों का संग्रहण एवं मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण करना, पशुओं की जांच, इलाज और टीकाकरण, मंगला पशु बीमा में रजिस्टर्ड पशुओं का हेल्थ सर्टिफिकेट और पॉलिसी जनरेट करना, एनएफएसए अन्तर्गत लंबित प्रकरणों का निस्तारण समेत विभिन्न कार्य करवाए जायेंगे।

- पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा में 24 जून से 9 जुलाई तक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर शिविरों का आयोजन किया जायेगा

आज यहां लगेंगे शिविर : पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा के तहत बुधवार को विभिन्न ग्राम पंचायतों पर शिविर आयोजित किए जायेंगे।

जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि ने बताया कि बीकानेर के कतरियासर, गाढवाला व हुसंगसर में, लूणकरनसर के महाजन शेरपुरा व सुई में, श्रीडूंगरगढ़ के आडसर, मोमासर एवं तोलियासर में, कोलायत के चानी, गजनेर व खारी चारनान में, बज्जू के गांधी व कोलासर पश्चिम में, पूगल के सियासर पंचकोसा व थारूसर में, खाजूवाला के 14 बीडी व 20 बीडी में, नोखा के उदासर, पांचू, गोंदुसर व मैनसर तथा छतरगढ़ ग्राम पंचायतों में शिविर आयोजित किए जायेंगे।

बीसीआई की हरी झण्डी के बाद ही होंगे एल.एल.बी. के दाखिले

बीकानेर, (कासं)। राज्य के गवर्नमेंट लॉ कॉलेजों में एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर के दाखिले बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) से हरी झंडी मिलने के बाद होंगे।

दरअसल पिछले साल भी बीसीआई की मान्यता विलम्ब से मिलने के कारण एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर का सेशन चार महीने प्रभावित हुआ था। फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षाएं दिसम्बर में होनी थी लेकिन मान्यता देर से मिलने के कारण परीक्षाएं मई में हो पाई। इस बार नया शिक्षा सत्र जुलाई से शुरू हो इसको लेकर कॉलेज प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है।

राजकीय लॉ कॉलेज बीकानेर के प्राचार्य ने मान्यता के लिए बीसीआई को प्रस्ताव भेज दिए हैं। बीसीआई की ओर से हरी झंडी मिलने के बाद ही बीकानेर सहित प्रदेश के 19 गवर्नमेंट लॉ कॉलेजों में एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर के प्रवेश शुरू हो पायेंगे। पिछले साल मान्यता विलम्ब से मिलने से प्रवेश की प्रक्रिया अक्टूबर में शुरू हुई। उधर कॉलेज प्रशासन का कहना है कि डॉ. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय ने पिछले शिक्षा सत्र से ही एलएलबी तीन वर्षीय पाठ्यक्रम में सेमेस्टर प्रणाली को लागू कर दिया है। ऐसे में जुलाई में प्रवेश की प्रक्रिया पूरी होने पर ही सेशन समय पर पूरा हो पायेगा। नए शिक्षा सत्र 2025-26 में प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने के संबंध में बार काउंसिल ऑफ इंडिया को प्रस्ताव भिजवाए गए हैं।

सार-समाचार

चिड़ियों के लिए पालसिए लगाये

वी.आर. फाउंडेशन ने साइंस पार्क में चिड़ियों के दाना पानी के लिए पालसिए लगाए।

बीकानेर, (कासं)। वी.आर. फाउंडेशन की अध्यक्ष डायरेक्टर फाउंडर अर्चना सक्सेना के निर्देशानुसार व्यास कॉलोनी मूर्ति सर्किल के पास साइंस पार्क में चिड़ियों के घर और दाना पानी के लिए पालसिए लगाये गए। अर्चना सक्सेना ने कहा कि इतनी गर्मी के मौसम में जहां आम इंसान गर्मी से जूझ रहा होता है। वहीं पक्षियों को भी धूप और गर्मी से बचने के लिए पेड़ों पर घर की जरूरत होती है जिसमें अपने बच्चों को गर्मी से बचा सकें और पेड़ों पर ही उनके लिए दाना पानी का इंतजाम भी उनको गर्मी में इधर-उधर भटकने से बचाता है। जिस तरह जरूरतमंद इंसानों की हर तरीके से मदद की जाती है। इस तरह पक्षियों और जानवरों की भी मदद करनी जरूरी है। मदद के कामों से हर इंसान के दिल को बहुत सुकून मिलता है। सभी का यह फर्ज बनता है कि वह इंसान की मदद या पशु पक्षी की मदद सभी को मदद के लिए आगे आना चाहिए। इस कार्य में संस्था की ओर से अर्चना सक्सेना, विजय मुंगिया, मंजूषा भास्कर, नीलम सक्सेना, गीता रामचंदानी, मधुबाला खत्री, पूजा सोनी, हेमा सिंह, सुनीता अग्रवाल, अमित मित्तल और रंजन उपस्थित थे।

अवैध खनन को लेकर ग्रामीण और माइनिंग कर्मचारी आमने-सामने

- कपिल सरोवर के बहाव क्षेत्र में अतिक्रमण और अवैध खनन की तीन दिन में रिपोर्ट मांगी

बीकानेर, (कासं)। कोलायत में अवैध खनन को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। हिंगलाज नगर में ग्रामीण और माइनिंग कर्मचारी आमने-सामने हो गए। सोमवार सुबह ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी के समक्ष प्रदर्शन कर आबादी एरिया में अवैध खनन बंद करवाने की मांग की।

हिंगलाज नगर में बजरी और सिलिका सैंड के क्रैशर से परेशान ग्रामीणों ने काम रूकवा दिया। इसे लेकर माइनिंग कर्मचारियों से उनका विवाद हो गया। कुछ ही देर में कोलायत थाना पुलिस की मौके पर पहुंच गई। देर रात हुई घटना का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिस कर्मी गाली गलौज करते नजर आ रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिसकर्मी उल्टे उन्हें ही धमकी दे रहे हैं। पुलिसकर्मी से ग्रामीण कह रहे हैं कि आटे में नमक जितना खाओ, लेकिन आम आदमी का गला मत पकड़ो। पुलिसकर्मी गाली निकालते हुए बोला कि बार-बार परेशान किया तो डांग (लाठी) पड़ेगी।

मढ़ ग्राम पंचायत के नवसृजित गांव हिंगलाज नगर के चारों तरफ बजरी, सिलिका और बाल क्ले की खदानें हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि लीज की आड़ में सरकारी जमीनों पर धड़ल्ले से अवैध खनन होता है। शिकायत करने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं होती। ग्रामीणों ने सोमवार को उपखंड कार्यालय पर प्रदर्शन किया। अवैध खनन के विरोध में जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों का कहना है कि पूरी रात क्रैशर चलता है, जिससे धूल उड़ती है। सांस लेना भी दूभर हो गया है। खनन मालिक इतने प्रभावशाली हैं कि रात में काम रूकवाने जाते हैं तो उनके एक फोन पर पुलिस आ जाती है।

ग्रामीणों को झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकियां दी जाती हैं। सरपंच प्रतिनिधि हुकमाराम नायक ने उपखंड अधिकारी राजेश नायक को ज्ञापन देकर कहा कि यदि अवैध खनन नहीं रोका तो अनिश्चितकालीन धरना दिया जायेगा। ज्ञापन देने वालों में बुधाराम, रामसिंह, रामप्रताप, शंकरलाल, पोकरराम, मुरली, विजय, भागी, कोजूराम आदि शामिल थे। अवैध खनन की खबर प्रकाशित होने के बाद प्रशासन हरकत में आया। उपखंड अधिकारी राजेश नायक ने खनन, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, वन विभाग, जल संसाधन, तहसीलदार और माइनिंग एसोसिएशन से कपिल सरोवर के बहाव क्षेत्र में अतिक्रमण और अवैध खनन को लेकर तीन दिन में फैक्चुअल रिपोर्ट मांगी है।

श्वास नली में फंसी सेफ्टी पिन निकाली

बीकानेर, (कासं)। जीवन रक्षा अस्पताल में चिकित्सा विज्ञान और मानवीय संवेदना का अद्वितीय उदाहरण सामने आया। जब ईएनटी डॉ. प्रवीण छींपा और डॉ. नितिन गुप्ता ने 6 महीने के एक मासूम बच्चे को मौत के मुंह से बाहर निकालकर नया जीवन दिया

डूंगरगढ़ निवासी एक 6 माह के शिशु ने खेलते समय अनजाने में एक सेफ्टी पिन निगल ली, जो उसकी श्वास नली में फंस गई। बच्चे की हालत अत्यंत गंभीर हो गई थी और परिजन कई अस्पतालों में मदद की गुहार लगाते रहे पर कहीं समाधान नहीं मिला।

जब हर दरवाजा बंद हुआ, तब परिजन जीवन रक्षा अस्पताल पहुंचे, जहां ईएनटी विशेषज्ञ डॉ. प्रवीण छींपा और डॉ. नितिन गुप्ता ने मामले की गंभीरता को तुरंत भांपते हुए ब्रोंक स्कॉपी प्रक्रिया द्वारा श्वास नली में फंसी पिन को सफलता से बाहर निकला। यह प्रक्रिया नाजुक और अत्यंत जोखिम भरी थी। किन्तु दोनों विशेषज्ञों की दक्षता और सूझबूझ से यह सफल रही।

फर्जी क्राइम ब्रांच का अधिकारी गिरफ्तार

- किराये की गाड़ी पर वह भारत सरकार ऑन ड्यूटी का टोकन लगाकर घूम रहा था

बीकानेर, (कासं)। कोटगेट थाना क्षेत्र में क्राइम ब्रांच का अधिकारी बनकर घूम रहा एक युवक पुलिस के हत्थे चढ़ा। उससे एक वाहन भी जब्त किया गया है, जिस पर भारत सरकार लिखा हुआ है। कोटगेट थाने के पास ही स्थित एक सार्वजनिक भवन में पहुंचे इस युवक को पुलिस ने दबोच लिया। कई फर्जी आईकार्ड के साथ उसे गिरफ्तार किया गया है।

पुलिस अधीक्षक कावेन्द्र सिंह सागर ने बताया कि पवन कुमावत निवासी रावतसर जिला हनुमानगढ़ खुद को क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताकर घूम रहा था। उसके पास एक किराये की गाड़ी थी, जिस पर वह भारत सरकार ऑन ड्यूटी का टोकन लगाकर घूम रहा था। वह खुद को क्राइम ब्रांच का अधिकारी होने का रोब व धौंस दिखाकर व्यापारिक प्रतिष्ठानों से सामान व होटल से खाना इत्यादि ले रहा था। किसी ने इसकी सूचना कोटगेट पुलिस को दी। कोटगेट पुलिस ने थाने से कुछ ही दूरी पर स्थित मोती भवन होटल पहुंचकर पूछताछ की।

युवक को हिरासत में लेकर प्राथमिक पूछताछ में क्राइम ब्रांच का अधिकारी होने का फर्जीवाड़ा पाया गया है। चार दिन से किराये पर गाड़ी लेकर घूम रहा था लेकिन बिना किराया दिए वाहन का उपयोग किया। व्यापारिक प्रतिष्ठान से खरीददारी व खाने पीने की वस्तुएं बिना पैसे दिए लेने का मामला भी सामने आ रहा है। पुलिस ने पवन कुमावत के विरूद्ध प्रतिरूपण व लोक सेवक के टोकन धारण करने के संबंध में भारतीय न्याय संहिता की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। गत आपराधिक रिकॉर्ड बारे में जानकारी प्राप्त की जा रही है।

बादनू में युवक को पीट-पीटकर की हत्या

- शराब के नशे में ढाणी में घुसा था, तीन भाईयों ने मिलकर मारा
- आरोपियों को हिरासत में लिया

बीकानेर, (कासं)। जसरासर थाना क्षेत्र में सोमवार रात एक युवक की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। मामले में 3 जनों को हिरासत में लिया गया है। पीबीएम हॉस्पिटल में पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा जायेगा। घटना नोखा सर्किल के जसरासर थाना क्षेत्र में बादनू गांव की है।

थानाधिकारी संदीप पूनिया ने बताया कि देर रात करीब 2 बजे राजूराम पुत्र भंवरलाल मेघवाल शराब के नशे में राजूराम की ढाणी में घुस गया था। इस दौरान नानूराम मेघवाल के तीन बेटों राजूराम, मनोज और सीताराम ने राजूराम को खेत में पेड़ से बांध दिया। राजूराम को काफी देर पीटा गया। उसे पीबीएम हॉस्पिटल लेकर गए जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। सूचना पर जसरासर थाना प्रभारी संदीप कुमार पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने नानूराम मेघवाल के तीन बेटों राजूराम, मनोज और सीताराम ने राजूराम को हिरासत में लिया है। मौके पर बीकानेर से फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी की टीम को बुलाया गया है। मृतक के परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर आगे कार्रवाई की जायेगी।

पूर्व पार्षद खुले चैम्बर में उतरा

श्रीगंगानगर, (कासं)। शहर में खुले पड़े नालों को कवर करने की मांग के साथ पूर्व पार्षद हरजीत सोनी उदाराम चौक के पास मुख्य नाले के खुले पड़े चैम्बर में उतर गए। उन्हें अचानक चैम्बर में उतरते देख लोगों की भीड़ जमा हो गई।

इस दौरान सोनी ने मौजूद लोगों को बताया कि नगर परिषद प्रशासन की लापरवाही से उदाराम चौक सहित शहर में जगह-जगह मौत के चैम्बर खुले पड़े हैं जिन्हें समय रहते कवर नहीं किया जाता है। बारिश के बाद इन खुले नालों में गिरने से लोग घायल होते रहते हैं। पहले ऐसे कई हादसे हो चुके हैं। हरजीत सोनी ने जिला कलेक्टर, नगर परिषद आयुक्त सहित अन्य अधिकारियों को चेतावनी दी है कि तीन दिन में चैम्बर कवर नहीं लगे तो फिर धरना लगा देंगे।

किसान बोले हक का 2500 क्यूसेक पूरा सिंचाई पानी लेंगे

- गंगासिंह चौक पर हजारों की संख्या में किसान उमड़े, धरना जारी

श्रीगंगानगर,(कासं)। गंगनहर में 2500 क्यूसेक सिंचाई पानी की मांग को लेकर चल रहा किसानों का अनिश्चितकालीन धरना मंगलवार को 9वें दिन भी जारी रहा।

संयुक्त किसान, मजदूर, व्यापारी संघर्ष समिति के आव्हान पर मंगलवार को जिले में 'प्रशासन ठप' आंदोलन किया जा रहा है। सुबह से ही जिले के सरकारी कार्यालयों में कामकाज ठप नजर आया। गंगासिंह चौक पर भारी संख्या में किसान एकत्रित हैं।

धरनास्थल पर विधायक रूपेंद्र सिंह कुन्नर, सांसद कुलदीप इंदौरा, महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष कमला बिश्नोई, किसान सभा जिलाध्यक्ष कालू थोरी, पूर्व विधायक राजेंद्र भादू, युवा नेता सुमित चौधरी समेत अनेक जनप्रतिनिधि व किसान नेता उपस्थित हैं। किसानों का कहना है कि बिजाई का उचित समय बीतता जा रहा है, लेकिन सरकार अब भी समाधान के नाम पर सिर्फ आश्वासन दे रही है।

विधायक कुन्नर ने कहा कि सरकार किसानों की समस्याओं को लेकर गंभीर नहीं है और अब आर-पार की लड़ाई लड़ी जायेगी। उन्होंने कहा कि जब तक पानी नहीं मिलेगा, तब तक आंदोलन नहीं रूकेगा। वहीं किसान सभा अध्यक्ष कालू थोरी ने चेताया कि आंदोलन थमने की बजाय अब और तेज होगा। उन्होंने कहा कि समिति शांति चाहती है, लेकिन सरकार बार-बार किसानों के धैर्य की परीक्षा ले रही है। संघर्ष समिति के नेता रविन्द्र तरखान ने बताया कि आंदोलन को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए अलग-अलग टीमें बनाई गई हैं। धरनास्थल पर जलपान, छाया, कूलर सहित गुरूद्वारा सिंहसभा की ओर से लंगर और चाय की भी व्यवस्था की गई है। किसानों का दावा है कि मंगलवार को का दिन ऐतिहासिक रहेगा और प्रशासन के समक्ष किसान शक्ति का व्यापक प्रदर्शन किया जायेगा।

'किसानों को कृषि आदानों की गुणवत्तापूर्वक आपूर्ति सुनिश्चित करें'

बीकानेर, (कासं)। कृषि भवन के आत्मा सभागार में मंगलवार को खरीफ सीजन के मध्यनजर कृषि आदान की सुचारू आपूर्ति व्यवस्था को सुनिश्चित करने को लेकर जिले के समस्त थोक उर्वरक विक्रेताओं व कंपनी प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित की गई।

बैठक में उर्वरक विक्रेतावार तथा कंपनीवार यूरिया, डी.ए.पी की रिपोर्ट मय पीओएस मशीन स्टॉक व वास्तविक स्टॉक रिपोर्ट के आधार पर विस्तृत चर्चा की गई। संयुक्त निदेशक कृषि कैलाश चौधरी ने समस्त थोक उर्वरक विक्रेताओं व कंपनी प्रतिनिधियों को निर्देशित किया कि कृषि आदान बीज, उर्वरक व कीटनाशी प्रावधानों में उल्लेखित नियमानुसार ही कार्य करते हुए किसानों को कृषि आदानों की गुणवत्तापूर्वक आपूर्ति सुनिश्चित करें। किसी भी स्तर पर कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध विभाग नियमानुसार सख्त वैधानिक कार्यवाही करेगा। उपनिदेशक कृषि जयदीप दोगने, कार्यालय अतिरिक्त निदेशक कृषि विस्तार ने निर्देशित किया कि वे जारी वैध लाइसेंस अनुसार ही कृषि आदानों की बिक्री वैधानिक तरीके से सुनिश्चित करें।

संयुक्त निदेशक कृषि कैलाश चौधरी ने खरीफ सीजन में कृषि आदान व्यवस्थाओं को लेकर थोक उर्वरक विक्रेताओं की बैठक को संबोधित किया।

- कृषि आदान के साथ किसी भी कृषि सह उत्पाद की टैगिंग नहीं करने के निर्देश दिए

विक्रय किए जाने वाले उत्पाद लाइसेंस पीसी में जुड़े होने चाहिए। साथ ही विक्रेता स्तर पर सेल पाइंट्स के अलावा गोदाम का भी इंद्राज होना अनिवार्य है। सहायक निदेशक कृषि सुरेंद्र मारू ने कृषि आदान विक्रेताओं को निर्देश दिए कि कृषि आदान के साथ किसी भी कृषि सह उत्पाद की टैगिंग ना की जाए। टैगिंग की शिकायत पर सत्यापन कर नियमानुसार कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। कृषि आदान के साथ टैगिंग पूर्णत: अनुचित है।

पंच गौरव कार्यक्रम की समीक्षा बैठक

बीकानेर, (कासं)। जिले में राज्य सरकार की अभिनव योजना पंच गौरव कार्यक्रम के क्रियान्वयन को लेकर कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

बैठक की अध्यक्षता जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सोहन लाल ने की। इस दौरान जिले के विशिष्ट उत्पादों, उपजों, वनस्पतियों, खेलों और पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने की कार्ययोजना पर चर्चा हुई। सीईओ सोहन लाल ने बताया कि राज्य सरकार ने हर जिले में उसकी विशिष्टता के अनुसार पांच गौरव चिन्हित किए हैं। एक उत्पाद, एक उपज, एक वनस्पति प्रजाति, एक खेल और एक पर्यटन स्थल। बीकानेर जिले के लिए बीकानेरी नमकीन को एक जिला एक उत्पाद, मोठ को एक उपज, रोहिड़ा को वनस्पति प्रजाति, तीरंदाजी को खेल और श्री करणी माता मंदिर, देशनोक को पर्यटन स्थल के रूप में चयनित किया गया है।

राजस्थान सरकार, कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)

क्रमांक : नियमन/2025 **सार्वजनिक आपत्ति सूचना** दिनांक : 01-05-2025

सर्व साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि कृषि भूमि क्षेत्र में रिहायशी भूखण्ड वाके चक 7 जैड मुरब्बा नं. 26 के किला नं. 02 में भूखण्ड माप 25" गुणा 48'-0" फीट के नियमन/पट्टा हेतु आवेदक श्रीमती सुमन पत्नी श्री सुरेन्दर कुमार, निवासी 105 भरत नगर, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर इनके भूखण्ड का नियमन किया जाता है। अतः उपरोक्त वर्णित भूखण्ड के आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों/रकबे के संबंध में किसी को कोई आपति हो तो वह अपनी आपति मय सबूत आपति सूचना के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस के अन्दर-अन्दर न्यास कार्यालय में कमरा नं. 17 में प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा बाद मियाद गुजरने अवधि के उपरान्त आवेदक श्रीमती सुमन पत्नी श्री सुरेन्दर कुमार निवासी 105 भरत नगर, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर चक 7 जैड मुरब्बा नं. 26 के किला नं. 02 में भूखण्ड माप 25" गुणा 48'-0" फीट का नियमन/पट्टा जारी कर दिया जावेगा। यदि उक्त वर्णित क्षेत्र का पूर्व में नियमन/पट्टा जारी होना पाया गया तो वर्तमान पट्टा स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। न्यास किसी भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।

RajKaj Ref No.: 14950918 -सचिव,नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर।

राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड

(राजस्थान सरकार का उपक्रम) एसबीयू एण्ड पीसी-जिप्सम, 02, गांधी नगर, स्कीम, बीकानेर- 334001

फोन नं. :- 151-2200171-75, फैक्स : 0151-2523519/2202842

निविदा सूचना दिनांक :- 20/06/2025

निविदा संख्या एवं दिनांक	कार्य का प्रकार
RSMM/GYP/Contract-02/ 2025-26 Dated 19.06.2025 UBN No. MML2526SSOB00043	थोब सेलेनाइट खदानों के फाईनल माईन क्लोजर प्लान बनाने का कार्य (निविदानुसार)। अनुबन्ध राशि रू.- 7.00/- लाख, धरोहर राशि रू.- 14,000/-, निविदा शुल्क रू. 590/-

विस्तृत जानकारी हेतु विभाग की वेबसाइट www.sppp.rajasthan.gov.in और www.eproc.rajasthan.gov.in और अथवा प्रमुख एवं प्रभारी-जिप्सम, बीकानेर से सम्पर्क कर सकते है।

राज.संवाद/सी/25/4830 उप महाप्रबन्धक (का.एवं प्रशा.)

राजस्थान सरकार, कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)

Telefax No. 0154-2466652, Email :- uit_sgnr@yahoo.com Off. Add:- UIT Office, Model Town, Sri Ganganagar (Raj.) 335001

क्रमांक :- नियमन/2025/4138 **सार्वजनिक आपत्ति सूचना** दिनांक : 23.6.2025

सर्व साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि कृषि भूमि क्षेत्रों में कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरित योजना में चक 5 ई छोटी मुरब्बा नं. 05 के किला नं. 25 में माप 25 इन्टू 50 फिट भूखण्ड संख्या एमवी-63 (कॉर्नर) मनन विहार, श्रीगंगानगर का पट्टा संख्या 16125 दिनांक 17.08.2022 को एवं भूखण्ड संख्या एमवी-64 भूखण्ड माप 25 इन्टू 50 फीट का पट्टा संख्या 16760 दिनांक 29.09.2022 को श्री नीरज मित्तल पुत्र श्री हनुमान प्रसाद के नाम से जारी किया हुआ है। उक्त दोनों भूखण्डों का पुनर्गठन/उपविभाजन उपरान्त माप 25 इन्टू 50 फीट भूखण्ड संख्या एमवी-63-64 पार्ट ए का नामान्तरण श्रीमती रेणू शर्मा पत्नी श्री हरीश शर्मा के नाम से न्यास रिकार्ड में दर्ज हो चुका है। वर्तमान में श्रीमती रेणू शर्मा द्वारा उक्त भूखण्ड संख्या एमवी-63-64 पार्ट ए का पूर्व में जारी पट्टे एवं पंजीकृत बैयनामों का समर्पण कर भूखण्ड की लीज हस्तान्तरित करवाते हुए फ्री होल्ड पट्टा जारी किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। अतः उक्त के सम्बन्ध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति मय सबूत छाया दिनांक से 7 दिवस के अन्दर-अन्दर न्यास कार्यालय के कमरा नं. 17 में प्रस्तुत करें, अन्यथा बाद मियाद गुजरने के उपरान्त आवेदकों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं शपथ पत्र के आधार पर राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा एवं आवंटन) नियम 2012 के नियम 20, 25 एवं 27 की अनुपालना में कार्यवाही करते हुए फ्री होल्ड पट्टा जारी कर दिया जावेगा। इस सम्बन्ध में न्यास किसी भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।

- सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

राजस्थान सरकार, कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)

Telefax No. 0154-2466652, Email :- SECYUIT.SGNR@RAJASTHAN.GOV.IN Off. Add:- UIT Office, Model Town, Sri Ganganagar (Raj.) 335001

क्रमांक :- नियमन/2025/ **सार्वजनिक आपत्ति सूचना** दिनांक : 22.6.2025

श्रीमती पारूल अग्रवाल पुत्री श्री संजय अग्रवाल निवासी 65 गणगौर नगर, श्रीगंगानगर द्वारा नीचे वर्णित भूमि में से अपने अधिकार भू.सं. 65, गणगौर नगर, श्रीगंगानगर का सदस्य प्रमाण पत्र, अपने पिता श्री संजय अग्रवाल का मृत्यु प्रमाण पत्र, स्वामित्व के दस्तावेज एवं शपथ पत्र प्रस्तुत कर आवासीय प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग के लिए पूर्ण स्वामित्व पट्टा अधिकार प्राप्त करने के लिए न्यास के पक्ष में अभ्यर्पित कर दिये है।

जिले सहित नगर का नाम	पट्टे का विवरण	भूमि का विवरण	आवेदित भूमि का क्षेत्रफल
श्रीगंगानगर	पट्टा सं. 639, 628, 642, 638 दिनांक 7.11.1989 को क्रमशः श्री रामनिवास पुत्र श्री सुखदेव दास, पुरूषोत्तम पुत्र श्री भगवानदास, रामपाल पुत्र श्री रमन लाल एवं सत्यनारायण पुत्र श्री सुखदेव के नाम से जारी किया हुआ है।	चक 1 ए छोटी मुरब्बा नं. 48 के किला नं. 05 में माप 2066.68 वर्गगज श्रीगंगानगर	माप 25 इंटू 40 फीट

इसलिए इसके द्वारा समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के पास राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 की धारा 60 सी के अधीन पूर्ण स्वामित्व पट्टा अधिकार अभिप्राप्त करने के लिए न्यास के पक्ष में आवेदक द्वारा भूमि में के अधिकार अभ्यर्पण करने के अनुज्ञा की मंजूरी के सम्बन्ध में कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के सात दिवस के भीतर किसी भी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियत समय के भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी व्यक्ति को कोई आक्षेप नहीं है और मामले का तदनुसार निपटारा किया जावेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज जारी की गयी।

Rajkaj Ref. No. 15751691 - सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

राजस्थान सरकार, कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)

Telefax No. 0154-2466652, Email :- SECYUIT.SGNR@RAJASTHAN.GOV.IN Off. Add:- UIT Office, Model Town, Sri Ganganagar (Raj.) 335001

क्रमांक :- नियमन/2025/ **सार्वजनिक आपत्ति सूचना** दिनांक : 22.6.2025

श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री अमीचंद निवासी 40 सरस्वती नगर, वार्ड नं. 41, श्रीगंगानगर एवं श्री पवन कुमार पुत्र श्री अमीचंद निवासी 40 चहल चौक, श्रीगंगानगर द्वारा नीचे वर्णित भूमि में से अपने अधिकार को अपंजीकृत बंटवारनामा दिनांक 08.10.2018 के द्वारा क्रय कर आवासीय प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग के लिए पूर्ण स्वामित्व पट्टा अधिकार प्राप्त करने के लिए न्यास के पक्ष में अभ्यर्पित कर दिये है।

जिले सहित नगर का नाम	पट्टे का विवरण	भूमि का विवरण	आवेदित भूमि का क्षेत्रफल
श्रीगंगानगर	पट्टा सं. 312 दिनांक 14.1.1988 को श्री ओ.पी. सेठी (ओमप्रकाश सेठी) पुत्र श्री लेखराज सेठी के नाम से भू-रूपान्तरण विभाग, श्रीगंगानगर द्वारा जारी किया हुआ है।	चक 6 ई छोटी मुरब्बा नं. 32 के किला नं. 06 में माप 293.3 वर्गगज श्रीगंगानगर	श्री राजेन्द्र कुमार द्वारा आवेदित माप 33 इंटू 40 फीट कॉर्नर, श्री पवन कुमार द्वारा आवेदित माप 33 इंटू 40 फीट दक्षिणी हिस्सा

इसलिए इसके द्वारा समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के पास राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 की धारा 60 सी के अधीन पूर्ण स्वामित्व पट्टा अधिकार अभिप्राप्त करने के लिए न्यास के पक्ष में आवेदक द्वारा भूमि में के अधिकार अभ्यर्पण करने के अनुज्ञा की मंजूरी के सम्बन्ध में कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के सात दिवस के भीतर किसी भी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियत समय के भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी व्यक्ति को कोई आक्षेप नहीं है और मामले का तदनुसार निपटारा किया जावेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज जारी की गयी।

Rajkaj Ref. No. 15954390 - सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

राजस्थान सरकार, कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)

Telefax No. 0154-2466652, Email :- SECYUIT.SGNR@RAJASTHAN.GOV.IN Off. Add:- UIT Office, Model Town, Sri Ganganagar (Raj.) 335001

क्रमांक :- नियमन/2025/ **सार्वजनिक आपत्ति सूचना** दिनांक :

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री सुनील कुमार बंसल पुत्र स्व. श्री अमरनाथ बंसल एवं श्री अर्पित बंसल पुत्र श्री सुनील कुमार बंसल निवासी वार्ड नं. 14, केसरीसिंहपुर, तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर के द्वारा न्यास क्षेत्र में स्थित आवासीय/व्यवसायिक भूखंड का न्यास रिकार्ड में नामान्तरण हेतु आवेदन किया गया है। उक्त भूखंड के सम्बन्ध में न्यास रिकार्ड एवं आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज की स्थिति निम्नानुसार है :-

न्यास रिकार्ड के अनुसार भूखंड का विवरण		आवेदक के द्वारा भूखंड के नामांतरण हेतु प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण
भूखण्ड का विवरण	मूल भूखण्डधारी	दस्तावेज का विवरण
चक 5 ई छोटी मुरब्बा नं. 18 किला नं. 21 में प्रत्येक में माप 30 इंटू 62.6 फीट भूखंड सं. डीओसी-48 एवं भू.सं. डीओसी-49 व 50, डॉक्टर कॉलोनी, श्रीगंगानगर	क्रमशः भू. सं. 48 का नियमन पट्टा सं. 426 दि. 12.10.2012 को भू. सं. 49 का पट्टा सं. 6390 दि. 2.8.2008 व भू. सं. 50 का पट्टा सं. 6389 दि. 2.8.2008 को श्री अमरनाथ पुत्र श्री किलायती राम के नाम जारी किया हुआ है। जोकि नामान्तरण उपरांत श्रीमती निर्मला पत्नी श्री अमरनाथ एवं सुनील कुमार पुत्र श्री अमरनाथ के नाम न्यास में दर्ज है।	श्रीमती निर्मला देवी की मृत्यु दि. 18.7.2019 को होने के उपरांत श्री सुनील कुमार एवं श्री अर्पित बंसल द्वारा पंजीकृत वसीयत पत्र दिनांक 16.5.2025 की प्रति प्रस्तुत कर उक्त तीनों भूखंड का ऑनलाइन नामांतरण हेतु न्यास में आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

इस प्रकार उक्त भूखण्ड के सम्बन्ध में उपर्युक्तानुसार दस्तावेजों की प्रति इस कार्यालय में प्रस्तुत कर नामान्तरण चाहा गया है इस संबंध में श्री सुनील कुमार बंसल पुत्र स्व. श्री अमरनाथ बंसल एवं श्री अर्पित बंसल पुत्र श्री सुनील कुमार बंसल निवासी वार्ड नं. 14, केसरीसिंहपुर, तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के संबंध में कोई आपत्ति है तो सूचना के प्रकाशन के 07 दिवस में पुख्ता दस्तावेजों सहित अपनी आपत्ति/उजर दावा निम्न हस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत कर सकते है। उक्त अवधि के दौरान इस भूखण्ड से सम्बन्धित समस्त दस्तावेजों को आमजन हितबद्ध व्यक्ति के देखने व पढ़ने के लिये कार्यालय समय में खुला रखा गया है। बाद मियादि प्रकरण का निस्तारण कर दिया जायेगा एवं कोई आपत्ति/उजर स्वीकार नहीं होगा।

आवेदन संख्या :- SGNR/FY24-25/MUT/325,327 - सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

प्रारूप-10(नियम6(7)देखिए) कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी नगरपालिका सूरतगढ़

क्रमांक:729 दिनांक:23.6.2025

लोक सूचना

स्टार सिटी सूरतगढ़ पार्टनर(1)रविकांत पुत्र श्री नरेन्द्र कुमार(2)श्री दिनेश कुमार शिव प्रकाश सोमानी (3)श्री रणधीर पुत्र श्री राम कुमार(4)श्रीमती लिछमा पत्नी श्री रामकुमार(5)श्री गोपाल पुत्र श्री सहीराम(6)श्री वेदप्रकाश पुत्र श्री सहीराम(7)श्री महावीर पुत्र श्री बृजलाल ग्राम मानकसर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर कि निचे अल्लिखित भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन (आवासीय) के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

जिल सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	भूमि स्थान	क्षेत्र
तहसील सूरतगढ़	ग्राम मानकसर	खसरासं.365/239 की0.8090,367/240 की 0.4720,369241 की54 की.5910	1.8720यानि,.18720 वर्गमीटर

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 07 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नही है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 23.6.25 को जारी की गयी। प्राधिकारी अधिकारी नगरपालिका सूरतगढ

प्रारूप-10(नियम6(7)देखिए) कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी नगरपालिका सूरतगढ़

क्रमांक:733 दिनांक:23.6.2025

लोक सूचना

स्वास्तिक इन्कलेव सूरतगढ़ पार्टनर(1)श्री गौरव शर्मा पुत्र श्री गोपाल दास शर्मा(2)श्री प्रदीप कुमार पुत्र श्री महावीर(3)श्री सुधीर पुत्र श्री रामकुमार(4)श्री हंसराज पुत्र श्री सहीराम(5)श्री मनीराम गोदारा पुत्र श्री सहीराम निवासी सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर कि निचे अल्लिखित भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन (आवासीय) के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

जिल सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	भूमि स्थान	क्षेत्र
तहसील सूरतगढ	ग्राम मानकसर	खसरासं.360/279 की0.550,364/239 की 0.4430,366/240 की0.3500, 368/241 की1.0160	1.8640यानि18640 वर्गमीटर

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 07 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नही है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 23.6.25 को जारी की गयी। प्राधिकारी अधिकारी नगरपालिका सूरतगढ